(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th January, 2019."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th January, 2019, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

CLARIFICATION GIVEN BY THE CHAIR WITH REGARD TO EXTENDING THE SESSION FOR ONE DAY

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, my point of order is under Rule 12. On 19th of November, a Bulletin was issued informing the Members about the commencement of the 247th Session and a Provisional Calendar was issued which says, and I will quote only one line, "As at present arranged, sittings of the Rajya Sabha for the transaction of business during the Two Hundred and Forty Seventh Session have been fixed provisionally from December, 11 till January, 8." So, it was supposed to be concluded yesterday. And there was no announcement from the Chair as to whether the House had been extended till today or not. At the close of the day, the Chair said that the House was adjourned till tomorrow at 11.00 a.m., without mentioning, as per the Rules, because the Chairman has the power and we are not questioning the power or the authority of the Chairman. We are not questioning the power or the authority of the Chairman and there is no prestige issue. I am just inviting your attention to the Rules and Procedure. Rule 12 under sub-heading 'Days of sittings' says, "The Council shall sit on such days as the Chairman, having regard to the state of business of the Council, may from time to time direct." There was no direction from the Chairman. Now, what is the procedure? The procedure has been stated in the book "RAJYA SABHA AT WORK", Third Edition, page No.365, Chapter 11. I will quote only two-three lines. The caption is 'Fixation of sittings'. It says, "The Rajya Sabha sits on such days as the Chairman, having regard to the state of business of the Council..." This is Rule 12. Then another

caption is, 'Provisional Calendar of sittings'. It says, "Along with the summons for a session a Provisional Calendar of sittings showing the programme of sittings so fixed is issued to members." I have already mentioned that. Then it says, "Changes in the programme of sittings as shown in the Provisional Calendar of sittings and notified in the Bulletin may be made as and when necessary and announced by the Chairman in the House and notified in the bulletin."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I got your point.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, I ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, one second. I have not yet finished it. Please allow me. There was no announcement. There was no notification. In protest of that, we were sitting in the House even after the adjournment and thereafter we made a press statement. And after 7 o'clock, we found from some sources that a bulletin had been issued. रात के अंधेरे में एक बुलेटिन पब्लिश किया गया। This is not only abridgement of the rules but also a total disregard to the Parliamentary procedures hitherto practiced by this House. ...*(Interruptions)*... It is unprecedented, arbitrary and illegal. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, we have given notice under Rule 267. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: सर, सदन को अच्छा लगता कि हम चिंता इस बात के लिए करते कि जो 20 दिन सदन चलने वाला था, उसमें से 10 दिन हंगामें की भेंट चढ़ गए। हमारी चिंता वह होनी चाहिए थी। सदन में आप यह चिंता कर रहे हैं कि सरकार कार्य करने के लिए एक दिन बढ़ाना चाहती है, उसके पास important Bills हैं और उनको पारित करना है। वे बिल हैं ...**(व्यवधान)**... आनन्द शर्मा जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठ जाइए, उसके बाद में अपनी बात रखिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: प्लीज़ सर। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी ने मुझे बोलने के लिए कहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: केवल मंत्री विजय गोयल जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। ...**(व्यवधान)**... विजय गोयल जी, आप बोलिए। विजय गोयल जी, आप इधर देखिए। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री विजय गोयल जी, आप चेयर की तरफ देखिए और अपनी बात कहिए।

श्री विजय गोयल: सर, सदन को चिंता, जो 10 दिन हंगामे में चले गए, सदन चला नहीं, जनता हमको देख रही है, उसकी होनी चाहिए थी और चिंता हम यह कर रहे हैं कि हमने एक दिन कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सभी पार्टियों का यह कहना है कि इस बिल द्वारा जो 10% आर्थिक आरक्षण मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सभी की सहमति है। ...**(व्यवधान)**... यह अधिकार सरकार का और चेयरमैन का है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वह बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं कि रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है और इसके साथ-साथ BAC के अंदर भी पूरी चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है।

श्री संजय सिंह: BAC में सहमति नहीं हुई थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल: Formal और informal सभी तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर यह जो बिल आया हुआ है, The Constitution (One Hundred Twenty-Fourth Amendment) Bill, जिसमें सरकार सवर्णों को भी 10% आरक्षण देना चाहती है, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226 हो, दोनों के ऊपर सरकार को यह अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: विजय गोयल जी, आप बैठें। मैं सभी से आग्रह करूंगा, चूंकि एक दिन extension पर सवाल उठा है, इसलिए मैं उस पर अपना पक्ष चेयर के रूप में कहना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा। आप प्लीज़ अपनी सीटों पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, he has a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I want a ruling. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard your point of order. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संबंध में, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी, 2019 को Business Advisory Committee की मीटिंग के एजेंडा Item B के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request was received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by one day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is, 9th of January, 2019. स्पष्ट है कि House extension का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। BAC में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उसमें माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुन: अनौपचारिक रूप से हुई दो बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष व सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुन: दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई, उसके अनुरूप मैं सदन को चलाने की कोशिश कर रहा था। BAC की मीटिंग के मिनट्स में स्पष्ट है और पुन: राज्य सभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत आज 11.00 बजे तक के लिए कल हाउस adjourn किया गया था। यह चेयर का पक्ष देना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक बाहर-अंदर कई चीज़ें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वह बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

[श्री उपसभापति]

अंतिम बात, मैंने जो कल 11.00 बजे तक के लिए हाउस adjourn किया, मेरी समझ में इसमें implied था कि एक दिन का extension हुआ। ...**(व्यवधान)**... चूंकि पहले भी बात हो रही थी। ...**(व्यवधान)**... अगर यह चूक है ...**(व्यवधान)**... अगर आप इसको चूक मानते हैं ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**... अगर आप इसको चूक मानते हैं, तो यह मेरी समझ की चूक है, मेरी निजी चूक है। ...**(व्यवधान)**... That's all**. ...*(Interruptions)*...** श्री आनन्द शर्मा जी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, no**. ...*(Interruptions)*...**

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, please**. ...*(Interruptions)*...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Anandji**. ...*(Interruptions)*...**

श्री संजय सिंह: सर, यह सात तारीख को मीडिया में कैसे आ गया? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी। ...**(व्यवधान)**... आनन्द शर्मा जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**... Just one minute**. ...*(Interruptions)*...**

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, one minute**. ...*(Interruptions)*...**

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, please allow him**. ...*(Interruptions)*...**

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, please allow him**. ...*(Interruptions)*...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard him**. ...*(Interruptions)*...** I have already heard him**. ...*(Interruptions)*...**

DR. V. MAITREYAN: No, you have not heard him, Sir**. ...*(Interruptions)*...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already heard him**. ...*(Interruptions)*...** I am requesting**. ...*(Interruptions)*...** Please**. ...*(Interruptions)*...**

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, Rule 37 states that no variation in the Allocation of Time Order shall be made except by the Chairman, who may make such variation if he is satisfied after taking the sense of the Council that there is a general agreement for such variation. There was no agreement at all. You never took the sense of the House**. ...*(Interruptions)*...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would come to that**. ...*(Interruptions)*...**

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: No, no**. ...*(Interruptions)*...** I want an answer**. ...*(Interruptions)*...** No, no**. ...*(Interruptions)*...**

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी। ...**(व्यवधान)**... मैंने कहा कि मैं इसका आन्सर दूंगा। ...**(व्यवधान)**... अब आनन्द शर्मा जी को बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आनन्द शर्मा जी, अब आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: No. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told, it is not necessary that I would reply now. ...*(Interruptions)*... I have heard your point of view. ...*(Interruptions)*... I would come to that. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Now, Anandji. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: सर, जिस तरह से सरकार आखिरी दिनों में, मध्य रात्रि के समय निर्णय करती है। ...**(व्यवधान)**... और सदस्यों को ...**(व्यवधान)**... देखिए, या तो हाउस चला लें या टोका-टोकी करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मैं बैठ जाता हूं। आप हाउस चला लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, आप उनको समझाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आनन्द शर्मा जी के अलावा और किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। प्लीज़, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक सैद्धांतिक बात है। माननीय सदस्यों ने, सुखेन्दु शेखर राय जी ने और एस.आर. बालासुब्रमण्यम जी ने यह बात कही है कि सदन किस तरह से चलेगा। सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई भी बिल लाए, सरकार कोई निर्णय करे, हम उसको चुनौती नहीं देते, परन्तु नियमावली पर सदन चलता है। जिस तरह से यह अवधि बढ़ाई गई है, यह बिना आम सहमति के बढ़ाई गई है, मैं इस बात को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी, यह सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, न ही बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में इस पर कोई निर्णय हुआ, न ही कोई टाइम एलोकेट हुआ।

दूसरी बात यह है कि बहुत लम्बे समय के बाद ऐसी परिस्थिति आई है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है और अगर सदन नहीं चलता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है, यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती। सरकार की तरफ से सदन चलाने की कोई कोशिश नहीं हुई और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है। हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाये थे, नेता सदन ने भी उस बात को शुरू में माना कि हमने कई विषयों पर नोटिस दिया, राफेल पर बहस की जाए, लेकिन उस पर आज तक बहस नहीं हुई है। आपने यह तो कह दिया

[श्री आनन्द शर्मा]

कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार होने से बात नहीं होती। आप दूसरी चीज़ें ला रहे हैं, जिसके लिए सदन की सहमति नहीं है।

उपसभापति महोदय, हमने सदन में एक बात कही थी और यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में तय हो चुका कि राज्य सभा के अपने निर्णय हैं, अपनी परम्पराएं हैं। राज्य सभा ने निर्णय किया था कि कोई भी बिल, मैं किसी बिल की मैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं और मैं किसी बिल का नाम नहीं लेता हूं, जब तक पार्लियामेंटरी स्क्रूटनी नहीं होगी, वह बिल सदन में नहीं लाया जाएगा। But, what the Government is doing whether it is a Constitutional Amendment or Bills on sensitive matters, it has become a habit of this Government to bypass legislative scrutiny and treat this House as a mere rubber stamp. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: We cannot accept this situation. ...*(Interruptions)*... You take the sense of the House as per the rules. ... *(Interruptions)*... You take the sense of the House then. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: ज़ीरो ऑवर। श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल। ...(**व्यवधान**)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Fishing boats and fishermen detained by Pakistan's Marine Police

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आपने अपनी बात पूरी कह दी है। ...(**व्यवधान**)... श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। अन्य किसी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: *

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, जब से नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से गुजरात और तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत खुशी मिली है। ...(**व्यवधान**)... गुजरात के हजारों मछुआरे पाकिस्तान ने छोड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... हज़ारों तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका ने छोड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। जब से मोदी सरकार आई है, तब से मछुआरों में बहुत खुशहाली आई है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

* Not recorded.